संख्या: 47/2026/551/छप्पन-2026-56-1099/11/2026

प्रेषक,

निखिल टीकाराम फुंडे,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन निदेशालय,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ दिनांक: 26 मई, 2026

विषय: श्री देवेन्द्र सिंह, तकनीकी सहायक को सेवानिवृत्ति के उपरान्त पुनर्नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 39/ना0उ0नि0/व्य0पत्रा0/2026 दिनांक 22 मई, 2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निदेशालय की विशेष तकनीकी कार्य प्रकृति तथा नागर विमानन के क्षेत्र में तकनीकी कार्मिकों की नितान्त कमी के दृष्टिगत श्री देवेन्द्र सिंह, सेवानिवृत्त तकनीकी सहायक की सेवानिवृत्ति तिथि 30 अप्रैल, 2026 के उपरान्त अग्रेत्तर 02 वर्षों के लिए तकनीकी सहायक के पद पर पुनर्नियुक्ति प्रदान करने का अनुरोध किया गया हैं।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री देवेन्द्र सिंह, सेवानिवृत्त तकनीकी सहायक, नागरिक उड्डयन निदेशालय को कार्मिक अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या- 50 भा0स0/47-का-4-93-15/95/93 दिनांक 24 जनवरी, 1994, सपठित शासनादेश संख्या 1/12/97-का-4-1997 दिनांक 17 नवम्बर, 1997 तथा सपठित शासनादेश संख्या 1/12/97-का-4-2002 दिनांक 07 अगस्त, 2002 की व्यवस्था के अनुसार पुनर्नियुक्त किये जाने हेतु नागरिक उड्डयन निदेशालय में तकनीकी सहायक का एक नि:संवर्गीय पद यह शासनादेश जारी होने की तिथि से दिनांक 28.02.2027 तक के लिए सृजित करने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय इस शर्त के साथ प्रदान करते है कि उक्त नि:संवर्गीय पद दिनांक 28.02.2027 अथवा उक्त नि:संवर्गीय पद के पदधारक के स्वत: त्याग पत्र देने की तिथि जो भी पहले हो, को समाप्त हो जायेगा। साथ ही श्री देवेन्द्र सिंह, सेवानिवृत्त तकनीकी सहायक, नागरिक उड्डयन निदेशालय को वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-सा-3-1443/दस-930/83, दिनांक 15.12.1983 सपठित शासनादेश संख्या-सा-3-302/दस-2013-308/97टी0सी0, दिनांक 22.04.2013 एवं शासनादेश संख्या-19/2017-सा-3-22/दस-2017-930-83 दिनांक 13 जुलाई, 2017 में दी गयी निम्नलिखित शर्तों के अधीन उक्त सृजित नि:संवर्गीय पद पर पुनर्नियोजित किये जाने पर सहमति प्रदान की जाती है :-

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (लेखा) अनु0-2 के शासनादेश दिनांक 02 दिसम्बर, 1998 के प्रस्तर-2 व 3 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(2) पुनर्योजित कार्मिक को पुनर्योजन की अवधि में वह नियत वेतन अनुमन्य होगा, जो पुनर्योजित कार्मिक के अन्तिम आहरित मूल वेतन में से शुद्ध पेंशन की धनराशि (राशिकरण के पूर्व यदि कोई हो) घटाने के फलस्वरुप आए अथवा पुनर्योजित पद के वेतनमान के अधिकतम, जो भी कम हो, से अधिक न होगा। पुनर्योजन की अवधि में शुद्ध वेतन तथा शुद्ध पेंशन के योग पर मंहगाई भत्ता अनुमन्य होगा। पेंशन पर पृथक से राहत अनुमन्य न होगी।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) पुनर्योजन की अवधि पेंशन के लिये नहीं गिनी जायेगी और पद का भार ग्रहण करने अथवा उसकी समाप्ति कर कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(4) पुनर्योजित सरकारी सेवक को अस्थाई कर्मचारी की भांति वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 2, भाग-2-4, के सहायक नियम 157-ए तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के अनुसार अवकाश देय होगा।

(5) पुनर्योजन की अवधि में सरकारी सेवक को यात्रा तथा दैनिक भत्ते उसके वेतन व शुद्ध पेंशन के योग के अनुसार अनुमन्य दरों पर देय होगें जैसा कि यात्रा भत्ता नियम 16-ए में प्राविधानित है।

3- इस शासनादेश के क्रम में पुनर्योजन की अवधि कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रारम्भ मानी जाएगी।

4- शासन द्वारा उक्त पुनर्नियुक्ति बिना किसी सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

5- उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या E-7-9-X-2026-27 दिनांक 26-05-2026 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

6- कृपया उक्तानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक- यथोक्त

भवदीय,
निखिल टीकाराम फुंडे
विशेष सचिव

पृ0स0- 47/2026/551(1)/ छप्पन-2026 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नाकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0 प्रयागराज।

2- उप महालेखाकार/ई0एस0-III, आडिट भवन,टीसी-35-वी I, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-7, उत्तर प्रदेश शासन।

5- कार्मिक अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन।

6- वित्त (सामान्य) अनुभाग-03 उत्तर प्रदेश शासन ।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।